डिकरी व मुकद्‌दमें इब्तदाई

Judl/Civil (Order 20 Rule 6 CPC)

(Civil Procedure Code, Appendix D-1)

अदालत : उप जिला कलेक्टर मुकाम बामनवास

इजलास : सुनील कुमार मीना आर.ए.एस.

1 कमलादेवी पत्नि बाबूलाल, 2 धन्नी पत्नि सुखजी(मृतक) 3 मन्जू पुत्री बाबूलाल, 4 सीता पुत्री बाबूलाल, 5 राहुल पुत्र बाबूलाल, 6 सीमा पत्नि राजूलाल, जाति बैरवा, निवासी रमजानीपुरा,तह. बामनवास, जिला सवाई माधोपुर 7 खुशी पुत्री राजूलाल, 8 वंश कुमार पुत्र राजूलाल, 9 गौरव कुमार पुत्र राजूलाल, जाति बैरवा, निवासी रमजानीपुरा, जरिये संरक्षिका माता सीमा पत्नि राजूलाल, –वादीगण–.	ब ना म	1 हरकेश पुत्र अर्जुन जाति बैरवा, निवासी मण्डावरी, तह0 लालसोट, जिला दौसा, 2 कैलाश पुत्र कोरीलाल, जाति मीना, 3 कमलेश पुत्र कोरीलाल, जाति मीना, 4 बल्या पुत्र कैलाश, जाति मीना, 5 चरतलाल उर्फ चेत्या पुत्र कैलाश, जाति मीना, निवासी रमजानीपुरा, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर 6 घनश्याम पुत्र सोन्या, 7 प्रकाश पुत्र सोन्या, 8 बत्तीलाल पुत्र सोन्या, 9 मीठालाल पुत्र सोन्या, 10 राकेश पुत्र सोन्या, 11 हेमराज पुत्र सोन्या, 12 रामप्यारी पत्नि सोन्या, जाति बैरवा, निवासी रमजानीपुरा, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर 13 शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बिछोछ 14 लैण्डहोल्डर तहसीलदार, बामनवास –प्रतिवादीगण–

मुकदमा नम्बर– 55/2023

दावा बाबत – विभाजन, घोषणा खातेदारी, एवं स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी **श्री योगेश कुमार शर्मा अधिवक्ता** मिनजानिब मुद्‌दई **एक पक्षीय कार्यवाही** मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि–

दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत विभाजन, घोषणा खातेदारी, व स्थायी निषेधाज्ञा बटवारा स्कीम दिनांक 15.05.2025 के साथ संलग्न बटवारा स्कीम फर्द मौका मय नजरी नक्शा के अनुसार डिकी किया जा कर वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 व 6 ता 12 को बटवारा स्कीम दिनांक 15.05.2025 के साथ संलग्न बटवारा स्कीम फर्द मौका मय नजरी नक्शा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित

उपजिला कलक्टर बामनवास (स0मा0)

Scanned with CamScanner

किया जाता है। बटवारा स्कीम दिनांक 15.05.2025 के साथ संलग्न बटवारा स्कीम फर्द मौका मय नजरी नक्शा डिक्री का पार्ट रहेगा। प्रतिवादी संख्या–14 तहसीलदार बामनवास को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण की आराजी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं पैदा करें न किसी अन्य से करावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

(सुनील कुमार मीना)

उप जिला कलेक्टर

बामनवास(स०मा०)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	04	00			
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महनताना वकील			महनताना वकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बावत इजराय			बावत इजराय		
हुक्मनामा	03	00	हुक्मनामा	01	00
मुतफरिक	08	00	मुतफरिक	02	00
मीजान			मीजान		

(सुनील कुमार मीना)

उप जिला कलेक्टर

बामनवास

उपजिला कलक्टर

बामनवास (स०मा०)

न्यायालय– उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारी– सुनील कुमार मीना (आर.ए.एस.)

मु0नं0 55/2023 तारीख रजु–31.07.2023 निर्णय दिनांक–23.06.2025

1 कमलादेवी पत्नि बाबूलाल,

2 धन्नी पत्नि सुखजी, (मृतक)

3 मन्जू पुत्री बाबूलाल,

4 सीता पुत्री बाबूलाल,

5 राहुल पुत्र बाबूलाल, जाति बैरवा, निवासी रमजानीपुरा, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर

6 सीमा पत्नि राजूलाल, जाति बैरवा, निवासी रमजानीपुरा, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर

7 खुशी पुत्री राजूलाल, उम्र 15 वर्ष,

8 वंश कुमार पुत्र राजूलाल, उम्र 12 वर्ष,

9 गौरव कुमार पुत्र राजूलाल, उम्र 10 वर्ष, जाति बैरवा, निवासी रमजानीपुरा, जरिये संरक्षिका माता सीमा पत्नि राजूलाल, जाति बैरवा, निवासी रमजानीपुरा, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर –वादीगण–

बनाम

1. हरकेश पुत्र अर्जुन जाति बैरवा, निवासी मण्डावरी, तह. लालसोट, जिला दौसा,
2. कैलाश पुत्र कोरीलाल, जाति मीना,
3. कमलेश पुत्र कोरीलाल, जाति मीना,
4. बल्या पुत्र कैलाश, जाति मीना,
5. चरतलाल उर्फ चेत्या पुत्र कैलाश, जाति मीना, निवासी रमजानीपुरा, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर
6. घनश्याम पुत्र सोन्या,
7. प्रकाश पुत्र सोन्या,

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

Scanned with CamScanner

8. बत्तीलाल पुत्र सोन्या,

9. मीठालाल पुत्र सोन्या,

10. राकेश पुत्र सोन्या,

11. हेमराज पुत्र सोन्या,

12. रामप्यारी पत्नि सोन्या, जाति बैरवा, निवासी रमजानीपुरा, तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर

13. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बिछोछ

14. लैण्डहोल्डर तहसीलदार, बामनवास —प्रतिवादीगण—

दावा बाबत् विभाजन, घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः—

1. श्री योगेश कुमार शर्मा,एड. वादीगण की ओर से
2. प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का पेश किया कि भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 201 रकवा 0.16 हेक्टर ,खसरा नम्बर 202 रकवा 0.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 203 रकवा 0.23 हेक्टर, खसरा नम्बर 204 रकवा 1.18 हेक्टर, 207 रकवा 0.78 हेक्टर, 208 रकवा 0.39 हेक्टर, 209 रकवा 0.05 हेक्टर, व खसरा नम्बर 210 रकवा 0.42 हेक्टर कुल किता 08 कुल रकवा 3.30 हेक्टर स्थित ग्राम रमजानीपुरा तहसील बामनवास है। जो राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या—1 के नाम हिस्सा 1/2—1/2 है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 205 रकवा 0.23 हेक्टर, खसरा नम्बर 206 रकवा 0.19 हेक्टर कुल किता 02 कुल रकवा 0.42 हेक्टर स्थित ग्राम रमजानीपुरा तहसील बामनवास है जो राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या—06 ता 12 के नाम हिस्सा 1/2—1/2 है। खातेदार राजूलाल का देहावसान हो चुका है, जिसके वारीसान वादी संख्या 06 ता 09 है। प्रतिवादी संख्या—02 ता 05 या अन्य किसी दीगर व्यक्ति का उपरोक्त भूमि से कोई सम्बन्ध, या वास्ता नहीं है। वाद पत्र के मद संख्या—1 में वर्णित उक्त

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

Scanned with CamScanner

आराजीयात वादीगण के पूर्वज सुखजी व प्रतिवादीगण 06 ता 12 के पूर्वज सोन्या के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है जिसका वादीगण के पूर्वज सुखजी व प्रतिवादीगण 06 ता 12 के पूर्वज सोन्या ने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर वाहमी तौर पर अपने पूर्वजों के समय से ही विभाजन कर रखा है और मुताबिक वाहमी बॅटवारे के अनुसार वादीगण के पूर्वज सुखजी हिस्से में आराजी हाल खसरा नम्बर 203 रकवा 0.23 हेक्टर, खसरा नम्बर 210 रकवा 0.41 हेक्टर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 201 रकवा 0.16 हेक्टर में से बरंग लाल भाग 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 202 रकवा 0.10 हेक्टर में से बरंग लाल भाग 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 204 रकवा 1.18 हेक्टर में से बरंग लाल भाग 0.50 हेक्टर, खसरा नम्बर 205 रकवा 0.23 हेक्टर में से बरंग लाल भाग 0.21 हेक्टर, खसरा नम्बर 207 रकवा 0.78 हेक्टर में से 0.41 हेक्टर बरंग लाल भाग से दर्शित हिस्सा कुल रकवा 1.86 हेक्टर आई है तथा शेष 1/2 भूमि प्रतिवादी संख्या–06 ता 12 के पूर्वज सोन्या के हिस्से में आई है। उपरोक्त अनुसार वादीगण के पूर्वज सुखजी व प्रतिवादीगण 06 ता 12 के पूर्वज सोन्या अपने अपने हिस्से में आई भूमि पर बाहमी बॅटवारे के अनुसार काबिज रहे हैं। उपरोक्त आराजीयात में से प्रतिवादी संख्या–06 ता 12 के पूर्वज सोन्या ने उसके हिस्से में आई भूमि में से आराजी हाल खसरा नम्बर 201, 202, 204,207, 208, 209, का विकय प्रतिवादी संख्या 01 को कर दिया, जिसे प्रतिवादी संख्या 01 काश्त न कर प्रतिवादी संख्या 02 ता 05 काश्त करते है। वादी व प्रतिवादी संख्या–1 व प्रतिवादी संख्या–06 ता 12 मुताबिक बाहमी बॅटवारा अपने अपने हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे लेकिन अब प्रतिवादीगण 1 ता 5 के मन में फितूर आ गया है और वे अधिक संख्या में होने के कारण उसका नाजायज फायदा उठाकर वादीगण को हैरान परेशाान करने पर तुले हुए हैं तथा मुताबिक बाहमी विभाजन के वादीगण को उसके हिस्से में आई भूमि के उपयोग उपभोग व प्रयोग में व्यवधान पैदा करते रहते है तथा हमेशा विवाद कर झगडा करने पर आमादा रहते हैं। प्रतिवादी संख्या–1 ता 5 बहुत ही चालाक किस्म के व्यक्ति हैं। वादीया कमला

उपजिला कलक्टर
बानसवाड़ा (राज०)

Scanned with CamScanner

गॉव में अकेली रहती है। वादीया के बच्चे व बहू बाहर रहकर मजदूरी करते हैं। प्रतिवादी संख्या–1 ता 5 वादीया के अकेला होने के कारण वादीगण को आये दिन लगान अदायगी में तथा मुताबिक बाहमी बॅटवारे के वादीगण के हिस्से में आई भूमि के उपयोग उपभोग में व्यवधान पैदा करते रहते है तथा उक्त आराजीयात को बिना विभाजन कराये बेचान करने की धमकी देते रहते हैं। यह कि दिनांक 28.07.2023 को प्रतिवादीगण 1 ता 5 वादीगण की उक्त कब्जे काश्त की भूमि जो मुताबिक वाहमी बॅटवारे में वादीगण के हिस्से में आई है पर आ गये और वादीया को स्पष्ट धमकी दी कि वे वादीगण के हिस्से में आई भूमि का वादीगण को उपयोग एवं उपभोग नहीं करने देगें तथा वादीगण के हिस्से में आई भूमि को अन्य किसी व्यक्ति को बिना विभाजन कराये बेचान कर देगें। भूमि को विधिवत रूप से विभाजित कराये बिना प्रतिवादीगण को उक्त भूमि को विक्रय करने का तथा वादीगण को उसके हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग में बाधा डालने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण 1 ता 5 अपनी बेजा हरकतों से तब तक बाज नहीं आयेगें जब तक कि उन्हें जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द नहीं कर दिया जावेगा। अब वादी का प्रतिवादी संख्या–1 व 6 ता 12 के साथ अपना खाता संयुक्त रूप से रखना संभव नहीं है। वादीगण अब प्रतिवादी संख्या–1 व 06 ता 12 के साथ सम्मिलित खाता रखना नहीं चाहते है और वादीगण अपने हिस्से की खातेदारी पृथक से अपने नाम करवाना चाहते है इसलिए वादीगण को यह दावा बाबत भूमि विभाजन पेश करना आवश्यक हुआ। दावा पेश कर उक्त भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण को अलग अलग खातेदार काश्तकार घोषित कर उपरोक्त अनुसार अलग अलग खाता कायम किया जाने व सरकारी लगान का निर्धारण किया जाने जाने का निवेदन किया।

उक्त वादपत्र न्यायालय में मुकदमा नम्बर 55/2023 दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलव किया गया। बाद तलवी प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना अदालत हाजा में तारीख पेशी पर हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद पत्र के

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

Scanned with CamScanner

समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी हाल प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी हाल प्रदर्श–2, नकल हाल नक्शा ट्रेस प्रदर्श–3, नकल नजरी नक्शा प्रदर्श–4, पेश कर वादीया कमलादेवी के बयान पी.डब्ल्यू–1 लेखबद्ध कराये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन किये जाने के उपरान्त वाद वादीगण प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार बामनवास से विभाजन स्कीम तलव की गई। आदेश की पालना में तहसीलदार बामनवास द्वारा वादग्रस्त आराजी की भिाजन स्कीम तैयार कर भिजवाई गई जो शामिल पत्रावली की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन किये जाने के उपरान्त निष्कर्ष ,निम्न प्रकार हैं –

1– नकल जमाबंदी हाल प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी हाल प्रदर्श–2, के अनुसार आराजी हाल खसरा नम्बर 201 रकबा 0.16 हेक्टर ,खसरा नम्बर 202 रकबा 0.10 हेक्टर, खसरा नम्बर 203 रकबा 0.23 हेक्टर, खसरा नम्बर 204 रकबा 1.18 हेक्टर, 207 रकबा 0.78 हेक्टर, 208 रकबा 0.39 हेक्टर, 209 रकबा 0.05 हेक्टर व खसरा नम्बर 210 रकबा 0.42 हेक्टर कुल किता 08 कुल रकबा 3.30 हेक्टर स्थित ग्राम रमजानीपुरा तहसील बामनवास राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 के नाम हिस्सा 1/2–1/2 है तथा आराजी हाल खसरा नम्बर 205 रकबा 0.23 हेक्टर, खसरा नम्बर 206 रकबा 0.19 हेक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 0.42 हेक्टर स्थित ग्राम रमजानीपुरा तहसील बामनवास राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या–06 ता 12 के नाम हिस्सा 1/2–1/2 है। इस प्रकार उक्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 6 ता 12 की सह खातेदारी की आराजी है।

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

Scanned with CamScanner

2– बटवारा स्कीम दिनांक 15.05.2025 के अनुसार उक्त आराजीयात में से वादीगण व प्रतिवादीगण 1 व 6 ता 12 का मौके पर वाहमी तौर पर विभाजन होकर वादीगण व प्रतिवादीगण 1 व 6 ता 12 मौके पर काश्त कर उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे हैं तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 व 6 ता 12 द्वारा उक्त आराजी का विभाजन किया हुआ है।

आदेश

अतः उपरोक्तानुसार वाद वादीगण बाबत विभाजन, घोषणा खातेदारी, व स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किये जाने योग्य प्रतीत होने से वाद वादीगण बटवारा स्कीम दिनांक 15.05.2025 के साथ संलग्न बटवारा स्कीम फर्द मौका मय नजरी नक्शा के अनुसार डिक्री किया जा कर वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 व 6 ता 12 को बटवारा स्कीम दिनांक 15.05.2025 के साथ संलग्न बटवारा स्कीम फर्द मौका मय नजरी नक्शा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। बटवारा स्कीम दिनांक 15.05.2025 के साथ संलग्न बटवारा स्कीम फर्द मौका मय नजरी नक्शा डिक्री का पार्ट रहेगा। प्रतिवादी संख्या–14 तहसीलदार बामनवास को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण की आराजी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं पैदा करें न किसी अन्य से करावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
बामनवास

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बामनवास (स०मा०)

Scanned with CamScanner